



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ७, अंक २३]

शुक्रवार, ऑगस्ट ६, २०२१/श्रावण १५, शके १९४३

[पृष्ठे ३७, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MT-LA/66/2019 .

Dated : 23rd June, 2021
2 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and Amar Shalikram Pandhare had contested the aforesaid election from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Gondiya District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Amar Shalikram Pandhare** contesting candidate from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gondiya District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Amar Shalikram Pandhare** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Amar Shalikram Pandhare** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of **Amar Shalikram Pandhare** on 20.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election officer, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-310/2020 dated 03/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-310/2020 dated 03/08/2020, it has been stated that **Amar Shalikram Pandhare** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Amar Shalikram Pandhare** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Amar Shalikram Pandhare**, At. Makardhokda, Po. Dawki, Ta. Deori, Dist- Gondiya, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 66- Amgaon (ST) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as

and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Amar Shalikram Pandhare
At. Makardhokda, Po. Dawki,
Ta. Deori, Dist- Gondiya

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./66/2019 .

दिनांक: 23, जून 2021

2 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और अमर शालिकराम पंधरे ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अमर शालिकराम पंधरे विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, अमर शालिकराम पंधरे को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, अमर शालिकराम पंधरे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेख प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेख में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, अमर शालिकराम पंधरे के पिता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-310/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-310/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमर शालिकराम पंधरे, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि अमर शालिकराम पंधरे निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अमर शालिकराम पंधरे, मु. मकरधोकड़ा, पो. डबकी, ता. देवरी, जि. गोंदिया को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

अमर शालिकराम पंधरे
मु. मकरधोकड़ा, पो. डबकी,
ता. देवरी, जि. गोंदिया

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
**SECRETARIAT OF THE ELECTION
 COMMISSION OF INDIA**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MT-LA/66/2019 .

Dated : 23rd June, 2021
 2 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Umeshkumar Mulchand Sarote** had contested the aforesaid election from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra State as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Gondiya District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Umeshkumar Mulchand Sarote** contesting candidate from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gondiya District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Umeshkumar Mulchand Sarote** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Umeshkumar Mulchand Sarote** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of Umeshkumar Mulchand Sarote on 20.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's wife has been submitted to the Commission by District Election officer, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-309/2020 dated 03/08/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Gondiya District vide his letter No. A.K/G.E/WS-309/2020 dated 03/08/2020, it has been stated that **Umeshkumar Mulchand Sarote** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Umeshkumar Mulchand Sarote** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Umeshkumar Mulchand Sarote**, at. Kumbhartola (Murpar), Post- Shirpur Bagh, Ta. Deori, Dist- Gondia, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 66-Amgaon (ST) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Umeshkumar Mulchand Sarote
At. Kumbhartola (Murpar),
Post- Shirpur Bagh,
Ta. Deori, Dist- Gondia

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./66/2019 .

दिनांक: 23, जून 2021

2 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और उमेशकुमार मुलचंद सरोटे ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 66-आमगांव (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उमेशकुमार मुलचंद सरोटे बिधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, उमेशकुमार मुलचंद सरोटे को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, उमेशकुमार मुलचंद सरोटे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेख प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेख में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उमेशकुमार मुलचंद सरोटे की पत्नी द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी कि पत्नी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, गोंदिया जिला द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-309/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया द्वारा दिनांक 03.08.2020 के अपने पत्र सं. ए.के./जी.ई./डब्ल्यू.एस.-309/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उमेशकुमार मुलचंद सरोटे, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उमेशकुमार मुलचंद सरोटे निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 66-आमगांव (अ.ज.आ.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उमेशकुमार मुलचंद सरोटे, सु. कुंभारटोला (मुरपार), पो शिरपूर बाघ, ता. देवरी, जि. गोंदिया को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

उमेशकुमार मुलचंद सरोटे
सु. कुंभारटोला (मुरपार),
पो शिरपूर बाघ, ता. देवरी, जि. गोंदिया

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA
 निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MT-LA/140/2019 -

Dated: 28th June, 2021
 7 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Deepak Chandrabhan Gade** had contested the aforesaid election from 140-Ambernath (SC) Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Thane District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Deepak Chandrabhan Gade** contesting candidate from 140-Ambernath (SC) Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Thane District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 28.09.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Deepak Chandrabhan Gade** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 28.09.2020, **Deepak Chandrabhan Gade** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Deepak Chandrabhan Gade on 14.10.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer, Thane District vide his letter No. Election/desk-No-4/Vidhansabha2019/WS-319/2020 dated 20/10/2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Thane District vide his letter No. Gen/Room 2/Table-4/Vidhansabha Election/WS.319/2020 dated 19/03/2021, it has been stated that **Deepak Chandrabhan Gade** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Deepak Chandrabhan Gade** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Deepak Chandrabhan Gade**, Jai Shree Ram Nagar, Opposite Block C-630, Near Deepak Darbar, Netaji Chowk, Ulhasnagar-4, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 140-Ambarnath (SC) Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Deepak Chandrabhan Gade
Jai Shree Ram Nagar, Opposite Block C-630,
Near Deepak Darbar, Netaji Chowk, Ulhasnagar-4

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./140/2019.

दिनांक: 28, जून 2021

7 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और दिपक चंद्रभान गाडे ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, दिपक चंद्रभान गाडे विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, दिपक चंद्रभान गाडे को दिनांक 28.09.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, दिपक चंद्रभान गाडे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, दिपक चंद्रमान गाडे के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 14.10.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला द्वारा दिनांक 20.10.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-स-4/विधानसभा 2019/डब्ल्यू.एस./2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे द्वारा दिनांक 19.03.2021 के अपने पत्र सं. जेन/कमरा 2/टेबल-4/विधानसभा इलेक्शन/डब्ल्यू.एस. 319/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिपक चंद्रमान गाडे, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि दिपक चंद्रमान गाडे निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 140-अंबरनाथ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, दिपक चंद्रमान गाडे, जय श्री राम नगर, ब्लॉक-सी-630 समोर, दिपक दरबार जबळ, नेताजी चौक, उल्हासनगर-4 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

दिपक चंद्रमान गाडे

जय श्री राम नगर, ब्लॉक-सी-630 समोर,

दिपक दरबार जबळ, नेताजी चौक, उल्हासनगर-4

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA
 निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/MT-LA/113/2019 .

Dated: 5th July, 2021
 14 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Govinda Ambar Borale** had contested the aforesaid election from 113- Nandgaon Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nashik District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Govinda Ambar Borale** contesting candidate from 113- Nandgaon Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nashik District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Govinda Ambar Borale** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Govinda Ambar Borale** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of **Govinda Ambar Borale** on 13.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nashik District vide his letter No. Election/Desk-No.2/123/2020 dated 27.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nashik District vide his letter Election/Desk-No.2/169/2020- dated 31.07.2020, it has been stated that **Govinda Ambar Borale** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Govinda Ambar Borale** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Govinda Ambar Borale**, At. Po. Chinchgavhan Tal- Malegaon, Dist- Nashik, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 113-Nandgaon Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Govinda Ambar Borale
At. Po. Chinchgavhan Tal- Malegaon,
Dist- Nashik

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./ 113/2019 .

दिनांक: 5, जुलाई 2021

14 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और गोविन्दा अंबर बोराळे ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 113- नांदगांव विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के सामक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 113- नांदगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, गोविन्दा अंबर बोराळे विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, गोविन्दा अंबर बोराळे को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, गोविन्दा अंबर बोराळे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, गोविन्दा अंबर बोराळे के पिता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला द्वारा दिनांक 27.03.2020 के अपने पत्र सं. निर्वाचन/डेस्क क्र.2/123/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं. निर्वाचन/डेस्क क्र.2/169/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गोविन्दा अंबर बोराळे, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि गोविन्दा अंबर बोराळे निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 113- नांदगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, गोविन्दा अंबर बोराळे, मु. पो. चिंचगव्हाण ता. मालेगांव जि. नाशिक को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

गोविन्दा अंबर बोराळे
मु. पो. चिंचगव्हाण ता. मालेगांव
जि. नाशिक

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/MT-LA/123/2019 .

Dated: 5th July, 2021
 14 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Avhad Mahesh Zunjar** had contested the aforesaid election from 123-Nashik East Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nashik District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Avhad Mahesh Zunjar** contesting candidate from 123-Nashik East Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nashik District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Avhad Mahesh Zunjar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Avhad Mahesh Zunjar** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of **Avhad Mahesh Zunjar** on **13.03.2020**, acknowledgement receipt obtained from the wife of candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nashik District vide his letter No. Election/Desk-No.2/122/2020 dated 27.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DED, Nashik vide his letter No. Election/Desk-No.2/170/2020 dated 31.07.2020, it has been stated that **Avhad Mahesh Zunjar** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Avhad Mahesh Zunjar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Avhad Mahesh Zunjar**, resident of 1, Madhav Society, Jagtap Mala, Near Taran Talav, Nashik Road- 422 101, Tal. Dist- Nashik, the contesting candidate for the General Election to the legislative Assembly, 2019 from 123-Nashik East Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Avhad Mahesh Zunjar
1, Madhav Society, Jagtap Mala,
Near Taran Talav, Nashik Road- 422 101,
Tal. Dist- Nashik

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./123/2019 .

दिनांक: 5, जुलाई 2021

14 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और आब्लाड महेश झुंजार ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 123- नाशिक पूर्व विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एसआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 123-नाशिक पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, आब्लाड महेश झुंजार विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, आब्लाड महेश झुंजार को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, आब्लाड महेश झुंजार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, आव्हाड महेश झुंजार की पत्नी द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी की पत्नी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला द्वारा दिनांक 27.03.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-सं.2/122/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-सं.2/170/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आव्हाड महेश झुंजार, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और गम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि आव्हाड महेश झुंजार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 123-नाशिक पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, आव्हाड महेश झुंजार, 1, माधव सोसायटी, जगताप महल, तरन तलाव के पास, नाशिक रोड- 422 101, त. जिला- नाशिक, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आव्हाड महेश झुंजार

1, माधव सोसायटी, जगताप महल,

तरन तलाव के पास, नाशिक रोड- 422 101,

त. जिला- नाशिक

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA
 निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/MT-LA/137/2019 .

Dated: 5th July, 2021
 14 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Habibur Rehman Khan** had contested the aforesaid election from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Thane District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Habibur Rehman Khan** contesting candidate from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Thane District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Habibur Rehman Khan** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Habibur Rehman Khan** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the **Habibur Rehman Khan** on 25.07.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Thane District vide his letter No. Election/Desk-No-4/Vidhansabha2019/WS-243/2020 dated 31.07.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO and Collector, Thane vide his letter No. Gen/Room2/Table-4/Vidhansabha Election/WS.243/2020- dated 19.03.2021, it has been stated that **Habibur Rehman Khan** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Habibur Rehman Khan** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Habibur Rehman Khan**, resident of A/3, 402, Fourth Floor, United Plaza, Talaopali Road, Near Winsome Flora, Kausa- Mumbra, Dist. Thane- 400 612, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Habibur Rehman Khan
A/3, 402, Fourth Floor, United Plaza
Talaopali Road, Near Winsome Flora,
Kausa- Mumbra, Dist. Thane 400 612

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./137/2019.

दिनांक: 5 जुलाई 2021

14 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और हबिबुर रेहमान खाँ ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 137- भिवंडी पूर्व विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की मत्त प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 137- भिवंडी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, हबिबुर रेहमान खाँ बिधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, हबिबुर रेहमान खाँ को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, हबिबुर रेहमान खाँ को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, हबिबुर रेहमान खाँ द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-सं.-4/विधानसभा2019/डब्ल्यू.एस.-243/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे द्वारा दिनांक 19.03.2021 के अपने पत्र सं. जीईएन/रूम2/टेबल-4/विधानसभा इलेक्शन/डब्ल्यू.एस.243/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हबिबुर रेहमान खाँ, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि हबिबुर रेहमान खाँ निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 137- भिवंडी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, हबिबुर रेहमान खाँ, निवासी- ए/3, 402, चौथी मंजिल, युनाइटेड प्लाजा तलावपाली रोड, नियर विन्सोम फ्लोरा, कौसा- मुंब्रा, जि. ठाणे- 400 612 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

हबिबुर रेहमान खाँ
ए/3, 402, चौथी मंजिल,
युनाइटेड प्लाजा तलावपाली रोड,
नियर विन्सोम फ्लोरा, कौसा- मुंब्रा,
जि. ठाणे- 400 612

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/MT-LA/88/2019 .

Dated: 2nd July, 2021
 11 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Pandurang Tolaba Wanne** had contested the aforesaid election from 88- Loha Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Pandurang Tolaba Wanne** contesting candidate from 88- Loha Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Pandurang Tolaba Wanne** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Pandurang Tolaba Wanne** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the son of **Pandurang Tolaba Wanne** on 17.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the son of candidate has been submitted to the Commission by Dy. District Election officer, Nanded District vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR-21979 dated 11.04.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 03.09.2020, it has been stated that **Pandurang Tolaba Wanne** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Pandurang Tolaba Wanne** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Pandurang Tolaba Wanne**, resident of at post waka, Tq Loha, District- Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 88- Loha Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Pandurang Tolaba Wanne
At post waka, Tq Loha,
Dist.- Nanded.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./88/2019-

दिनांक: 2, जुलाई 2021

11 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और पांडुरंग तोलबा वन्ने ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 88-लोहा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएम-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 88-लोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, पांडुरंग तोलबा वन्ने विधि द्वारा यथापेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, पांडुरंग तोलबा वन्ने को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, पांडुरंग तोलबा वन्ने को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करने हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, पांडुरंग तोलबा वन्ने के बेटे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के बेटे से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 11.04.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जीबी-3/इलेक्शन/ई.एल.एक्स.पी./सी.आर-21979 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 03.09.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जीबी-3/इलेक्शन/ई.एल.एक्स.पी./सी.आर के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पांडुरंग तोलबा वन्ने, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि पांडुरंग तोलबा वन्ने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 88-लोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, पांडुरंग तोलबा वन्ने, मु. पो. वाका. ता. लोहा, जि. नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

पांडुरंग तोलबा वन्ने
मु. पो. वाका. ता. लोहा,
जि. नांदेड

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA
 निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001
 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/MT-LA/87/2019 -

Dated: 2nd July, 2021
 11 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Mudsaruddin Alimuddin** had contested the aforesaid election from 87-Nanded South Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Mudsaruddin Alimuddin** contesting candidate from 87-Nanded South Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mudsaruddin Alimuddin** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Mudsaruddin Alimuddin** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the brother of **Mudsaruddin Alimuddin** on 21.07.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nanded District vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 22.07.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 03.09.2020, it has been stated that **Mudsaruddin Alimuddin** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mudsaruddin Alimuddin** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure.

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mudsaruddin Alimuddin**, resident of House No. 6-2-158, Sayyadan, Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 87-Nanded South Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Mudsaruddin Alimuddin
House No. 6-2-158, Sayyadan,
Nanded

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./87/2019 .

दिनांक: 2 जुलाई 2021

11 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 87-नांदिड दक्षिण विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.03.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 87-नांदिड दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन विधि द्वारा ब्यापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 21.07.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 22.07.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल.ई.एक्स.पी/सी.आर. द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 03.09.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल.ई.एक्स.पी/सी.आर. के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 87-नांदेड दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन, घर नं. 6-2-158, सय्यदान, नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन
घर नं. 6-2-158, सय्यदान,
नांदेड

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION
COMMISSION OF INDIA
 निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001-
 NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/MT-LA/08/2019 -

Dated: 2nd July, 2021
 11 Ashadha, Saka, 1943

ORDER

WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** had contested the aforesaid election from 08-Sindkheda Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Dhule District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** contesting candidate from 08-Sindkheda Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhule District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 01.09.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 01.09.2020, **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by mother of **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** on 17.09.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's mother has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Dhule District vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/356/2020 dated 22.09.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Dhule vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/409/2020 dated 03.11.2020, it has been stated that **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)**, at Post Vikharan, Tal. Sindkheda, Dist. Dhule, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 08-Sindkheda Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

(S.K.DAS)

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

To

Narendra Dharma Patil (Salunkhe)
At. Post Vikharan, Tal. Sindkheda,
Dist. Dhule

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./08/2019 -

दिनांक: 2, जुलाई 2021

11 आषाढ़, 1943 (शक)

आदेश

यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 8-सिन्धुखेडा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, धुले जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 8-सिन्धुखेडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुले जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) को दिनांक 01.09.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) कि माता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी कि माता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, धुले जिला द्वारा दिनांक 22.09.2020 के अपने पत्र सं. जी./सेल-11/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस./356/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुलेद्वारा दिनांक 03.11.2020 के अपने पत्र सं.जी./सेल-11/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस./409/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे), ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पीकीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे) निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इन अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 8-सिन्दखेडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे), सु. पो. विखरण. ता. सिन्दखेडा, जि. धुले को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश में,

(एस.के.दास)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)
सु. पो. विखरण. ता. सिन्दखेडा,
जि. धुले

क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. १५२६/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) विभागीय आयुक्त (सर्व)
- (३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व)
- (४) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व)
- (५) विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी (सर्व) (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत)
- (६) निवडनस्ती.

शरद दळवी,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.